संख्या-06/2025/97/002-87 - 01099-45 - 2019

प्रेषक,

सुनील कुमार चौहान,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0 प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग लखनऊ : दिनांक 19 फरवरी, 2025

विषयः वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट के सापेक्ष नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रशिक्षण केन्द्रों के आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-6193/यूपीनेडा-आर0टी0सी0/उपयोगिता प्रमाण पत्र/2024-25, दिनांक 29 जनवरी, 2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में यूपीनेडा के प्रशिक्षण केन्द्रों के आधुनिकीकरण/ नवीनीकरण के क्रियान्वयन हेतु बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 300.00 लाख (रूपये तीन करोड़ मात्र) में से प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 75.00 लाख एवं द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 125.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है। सम्प्रति तृतीय किश्त के रूप में उक्त मद में अवशेष बची धनराशि रू 100.00 लाख (रूपये एक करोड मात्र) को आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1- स्वीकृत धनराशि उपरोक्त योजना के अन्तर्गत नियमानुसार अपेक्षित आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए व्यय की जायेगी।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि उसी मद पर व्यय की जायेगी, जिसके लिये स्वीकृत की गयी है और इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोग के लिये नहीं किया जायेगा। योजना पर किया जाने वाला व्यय स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा।

3- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसी कार्य के लिये पूर्व में किसी अन्य योजनान्तर्गत/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है तथा न ही ये कार्य किसी अन्य कार्यक्रम की कार्य योजना में सम्मिलित है।

4- कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व निदेशक, यूपीनेडा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कर लेंगे।

5- कार्यस्थल पर इससे संबंधित उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिलापट्ट/बोर्ड के रूप में जन साधारण की जानकारी के लिये प्रदर्शित किये जायेंगे।

6- यूपीनेडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

7- प्रस्तावित प्रायोजना की विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना का प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा। उक्त कार्यो की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो। इसके लिए कार्य से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के बाद वीडियोग्राफी करायी जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।
http://shasanadesh.up.gov.in

8- प्रस्तावित कार्य हेतु सामग्री का क्रय स्टोर परचेस रूल, वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं अन्य प्रचलित शासनादेशों/नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

9- स्वीकृत धनराशि व्यय किए जाने के पूर्व योजनाओं/परियोजनाओं के लक्ष्य के प्रस्तावों /आंगणनों के परीक्षण एवं मूल्यांकन संबंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-19/2015/बी-2-2973/दस-2015-10/77, दिनांक 19.10.2015 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10- अनुदान के कोषागार से आहरण हेतु बिल अनु सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

11- अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग समयबद्ध ढंग से शीघ्र पूर्ण कर लिया जाय। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं कार्य की भौतिक प्रगति के विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग/अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके अतिरिक्त कार्य हेतु राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 02 माह में अर्थात् दिनांक 31 मई, 2025 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

12- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करवाया जायेगा।

13- उक्त स्वीकृत धनराशि को आहरित/व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 तथा समय-समय पर जारी संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

14- वर्तमान में अवमुक्त की जा रही धनराशि के आहरणोपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 070 लेखा शीर्षक 2810021010500 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रशिक्षण केन्द्रों का आधुनिकीकरण/ नवीनीकरण मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-115X-2024-25-दिनांक 17-2-2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

सुनील कुमार चौहान
अनु सचिव

संख्या-06/2025/97(1)/002-87 - 01099-45 - 2019, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितरू-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
(3) कोषाधिकारी, लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10
(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(6) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुनील कुमार चौहान
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।
http://shasanadesh.up.gov.in